



2026:AHC-LKO:21595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1561 सन 2026

गुलाम साबिर

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	शुजात किदवई, फरहान अहमद खान, राजन्य शेखर
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 152 / 2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- शाहबाद, जिला- हरदोई में जमानत के लिए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध तीन मामले दर्ज हैं, जिनमें वह जमानत पर है। जमानत के आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र के अनुलग्नक-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3 के रूप में अभिलेख में हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, आवेदक का नौ अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका जमानत आवेदन के प्रस्तर 6 और पूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर 3 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक 9.4.2025 से जेल में है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक 9.4.2025 से जेल में है; उसे गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है; और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन को **अनुमति** दी जाती है

उपरोक्त मामले में आवेदक **गुलाम साबिर** को मुकदमा अपराध / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक जमानती की राशि न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय के हित में जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(v) आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(vii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, परीक्षण न्यायालय उनके विरुद्ध, कानून के अनुसार, धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

[न्यायमूर्ति राजीव भारती]

मार्च 26, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।